प्रार्थी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय,—प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक **568** का **2008**

**15** जनवरी**, 2008**

भारत का संविधान**, 1950—**अनुच्छेद **226—**सार्वजनिक परिसर **(**अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन**)** अधिनियम**, 1971—**धारा **2(**ई**)(iii)—** पंजाब पुनर्गठन अधिनियम**, 1966—**धारा **72—** प्रार्थी के खिलाफ विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ की गई निष्कासन प्रक्रिया लंबित—अवैतनिक किराये के लिए पी.यू. के एस्टेट अधिकारी द्वारा प्रार्थी को नोटिस जारी करना—क्या पंजाब विश्वविद्यालय धारा **2(**ई**) 2(iii)** के तहत एक केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित एक विश्वविद्यालय है जिससे वह **1971** अधिनियम की धारा **3** के तहत एस्टेट अधिकारी नियुक्त करने के लिए पात्र हो—आयोजित**,** हां—विश्वविद्यालय एक अंतर-राज्यीय निगमीय निकाय है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है— एस्टेट अधिकारी पी.यू. ने **1971** अधिनियम के तहत उचित रूप से शक्ति का अनुमान लगाया—प्रार्थी को जारी की गई नोटिस में कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है— याचिका खारिज।

आगे यह भी माना गया कि पंजाब विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित है क्योंकि यह एक अंतर-राज्यीय निगमित निकाय है। याचिकाकर्ता को 4 अप्रैल, 2007 को जारी की गई कारण बताओ सूचना में कोई अधिकार क्षेत्रीय त्रुटि नहीं है और पंजाब विश्वविद्यालय के एस्टेट ऑफिसर ने सही तरीके से सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) अधिनियम, 1971 के तहत शक्ति का आह्वान किया है।

(अनुच्छेद 8)

शिरीष गुप्ता, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

एम.एम. कुमार**, जे:**

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के एस्टेट ऑफिसर द्वारा 21 सितंबर, 2007 को दिए गए आदेश (एनेक्स्चर पी-11) के माध्यम से शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है क्योंकि पंजाब विश्वविद्यालय के एस्टेट ऑफिसर का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और एस्टेट ऑफिसर का कार्यालय सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत गठित नहीं किया जा सकता (संक्षेप में 'अधिनियम')। याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा है कि 'सार्वजनिक परिसर' की परिभाषा अधिनियम के अनुभाग 2(ई) 2(तृतीय) में परिभाषित की गई है जिसका अर्थ है कोई भी परिसर जो किसी विश्वविद्यालय के स्वामित्व में हो, या पट्टे पर लिया गया हो, या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या सम्मिलित किया गया हो। तदनुसार, निम्नलिखित कानूनी प्रश्न उठाया गया है:— "क्या पंजाब विश्वविद्यालय अनुभाग 2(ई)(2)(तृतीय) के तहत एक केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या सम्मिलित विश्वविद्यालय है ताकि अधिनियम के अनुभाग 3 के तहत एस्टेट ऑफिसर की नियुक्ति का हकदार हो।"

(2) श्री शिरीष गुप्ता, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता ने जोरदार तरीके से तर्क दिया है कि पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम 1947 एक प्रांतीय विधानमंडल द्वारा पारित एक अधिनियम है और इस तरह से इसे एक केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या सम्मिलित विश्वविद्यालय माना नहीं जा सकता है। अधिवक्ता के अनुसार एक बार यह हो जाने के बाद, फिर पंजाब विश्वविद्यालय के संबंधित परिसर को अधिनियम के अनुभाग 2(ई)(2)(तृतीय) के अर्थ में सार्वजनिक परिसर माना नहीं जा सकता है। उन्होंने, इस प्रकार, यह बल दिया है कि पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी एस्टेट अधिकारी याचिकाकर्ता के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही आरम्भ करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

(3) हमने याचिकाकर्ता के लिए सीखे गए वकील द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों पर विचार किया है और साथ ही साथ यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, १९६६ की धारा ७२ द्वारा व्यक्त उपबंधों के मद्देनजर। धारा ७२ के अनुसार अगर कोई निगमित शरीर जो कि विशेष रूप से, पूर्ववर्ती पंजाब राज्य या उसके किसी भी भाग के लिए एक राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत बनाया गया है, यदि उत्तराधिकारी राज्यों की आवश्यकताओं की सेवा करता है या एक अंतर-राज्य निगमित शरीर बन गया है, तो यह उन क्षेत्रों में उसी प्रकार कार्य और परिचालन करना जारी रखना चाहिए, जिन पर समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अधीन हो। धारा 72 की उप-धारा 3 ने स्पष्ट किया कि पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 के अंतर्गत बनाए गए पंजाब विश्वविद्यालय पर धारा 72 के प्रावधान लागू होने हैं। अधिनियम की धारा 72 इस प्रकार है: —

72. सांविधिक निगमों के संबंध में सामान्य प्रावधान।—

(1) इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा, जहाँ कोई निगम शरीर केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत मौजूदा पंजाब राज्य या उसके किसी भाग के लिए बनाया गया है और यदि उसे भाग II के प्रावधानों के अधीन एक अंतर-राज्यीय निगम शरीर बन गया है, तो, निगम शरीर नियुक्त दिन से उन क्षेत्रों में काम करता रहेगा और संचालित होगा जिसके लिए वह उस दिन से तुरंत पहले काम कर रहा था और संचालित हो रहा था, इस प्रकार के निर्देशों के अधीन जो केंद्र सरकार समय-समय पर जारी कर सकती है, जब तक कि कानून द्वारा कहे गए निगम शरीर के संबंध में अन्य प्रावधान नहीं किया जाता है।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा किसी भी ऐसे निगम शरीर के संबंध में जारी कोई निर्देश ऐसा निर्देश शामिल कर सकता है जो यह निर्दिष्ट करता है कि उस निगम शरीर को शासित करने वाला कोई भी कानून, उस निगम शरीर के संबंध में इसके आवेदन में, ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ प्रभावी होगा जैसा कि निर्देश में निर्दिष्ट हो सकता है।

(3) संदेह के निवारण के लिए यहाँ यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के प्रावधान पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 के अंतर्गत बनाए गए पंजाब विश्वविद्यालय, 1947 के अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1961 के अंतर्गत बनाए गए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के भाग III के प्रावधानों के अंतर्गत बनाई गई बोर्ड पर भी लागू होंगे।

(4) उप-धारा (3) में उल्लिखित पंजाब विश्वविद्यालय और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित इस धारा के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उत्तराधिकारी राज्य समय-समय पर ऐसे अनुदान देंगे जैसा कि केंद्र सरकार आदेश द्वारा, निर्धारित कर सकती है।

(4) धारा 72 की समीक्षा से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उत्तराधिकारी राज्यों को समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होने वाले अनुदान पंजाब विश्वविद्यालय के लिए भी प्रदान करने हैं।

(5) इससे पहले इस अदालत की एक डिविजन बेंच के समक्ष यह प्रश्न गोपाल चंद बनाम पंजाब विश्वविद्यालय और अन्य (1) मामले में उठा था। डिविजन बेंच ने यह दलील कि यह सार्वजनिक परिसर के अर्थ में नहीं आता है, धारा 2(ई)2(iii) के तहत नहीं आता है, को खारिज कर दिया और नीचे दिए गए अनुसार निर्णय दिया:

"याचिका में की गई शिकायत यह है कि पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा स्वामित्व वाले आवासीय क्वार्टर सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जाधारियों के निष्कासन) अधिनियम, 1971 (इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) में निहित परिसर की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और इस तरह पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त एस्टेट अधिकारी को प्रार्थी के खिलाफ निष्कासन की कार्यवाही शुरू करने का कोई अधिकार नहीं था।

प्रार्थी खुद अपने कहने पर पंजाब विश्वविद्यालय का कर्मचारी था और 31 मार्च, 1977 को सेवा से रिटायर हो गया था। उसे परिसर खाली करने के लिए दो महीने का समय दिया गया था और इस अवधि के दो महीने बीत जाने के बावजूद वह उन्हें लटकाए रखता है। यहां तक कि यदि एस्टेट अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अनियमितता माना जाए, तब भी हम हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं होंगे क्योंकि प्रार्थी को कोई अन्याय, बहुत कम मनमाना अन्याय नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध आवासीय आवास उसके कर्मचारियों के लिए आवश्यक है और जो लोग रिटायर होते हैं उन्हें नियमों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर उसे खाली करना है। उपर्युक्त विचार के अलावा, विश्वविद्यालय निस्संदेह एक निगम है और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 72 के तहत, उसे समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार काम करना है। तदनुसार, यह माना जाना चाहिए कि विवादित परिसर एक ऐसे निगम के हैं जिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। इस मामले के दृष्टिकोण से, अधिनियम के प्रावधान मामले के तथ्यों पर लागू होंगे और एस्टेट अधिकारी द्वारा पारित आदेश को चंडीगढ़ में सीखे हुए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा अपील में स्थिर किया जाना चाहिए। हमें इस याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती और इसे खारिज करने का आदेश देते हैं।

(6) इस अदालत की पूर्ण पीठ ने दयानंद एंग्लो-वैदिक कॉलेज बनाम पंजाब राज्य के मामले में, (2) अधिनियम की धारा 72 पर विचार करने का अवसर पाया और अनेक टिप्पणियाँ की गईं। हम उन

टिप्पणियों का विस्तार से वर्णन करना नहीं चाहते हैं लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि इस प्रावधान का उद्देश्य अंतर-राज्यीय निगमों को शासन की शक्ति देना नहीं था बल्कि उनकी सेवाएँ उत्तराधिकारी राज्यों को तब तक उपलब्ध कराना था जब तक कि उत्तराधिकारी राज्य अपनी व्यवस्थाएँ नहीं कर लेते। यह महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय से जो उम्मीद की गई थी वह उत्तराधिकारी राज्य की आवश्यकताओं की सेवा करना था, केंद्रीय सरकार के निर्देशों के अधीन।

(7) इस मामले में, पट्टेदार और पट्टाधारक का संबंध पंजाब विश्वविद्यालय और याचिकाकर्ता के बीच मौजूद है। किराए की अनदेखी के आरोप हैं और एस्टेट ऑफिसर ने विश्वविद्यालय द्वारा दायर किए गए निष्कासन याचिका पर याचिकाकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है और मामला लंबित है।

(8) उपरोक्त चर्चा के अनुसरण में, प्रश्न याचिकाकर्ता के खिलाफ उत्तरित किया जाता है। तदनुसार यह माना जाता है कि पंजाब विश्वविद्यालय केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित होता है क्योंकि यह एक अंतर-राज्यीय निकायी संस्था है। यह आगे माना जाता है कि 4 अप्रैल, 2007 को याचिकाकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक पी-10) में कोई अधिकार क्षेत्रीय त्रुटि नहीं है और एस्टेट ऑफिसर, पंजाब विश्वविद्यालय ने सही ढंग से सार्वजनिक परिसर (निष्कासन अनधिकृत कब्जाधारकों) अधिनियम, 1971 के तहत शक्ति ग्रहण की है। किराए की अदायगी न किए जाने का आरोप है और एस्टेट ऑफिसर ने विश्वविद्यालय द्वारा दायर निष्कासन याचिका पर याचिकाकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है और मामला लंबित है। चूंकि मामला अभी भी एस्टेट ऑफिसर के समक्ष लंबित है, हम किसी भी पक्ष के हितों के प्रतिकूल परिणाम की आशंका में योग्यता पर कोई राय व्यक्त करने से परहेज करते हैं।

(9) इसलिए रिट याचिका को तदनुसार खारिज कर दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मिताली अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
**(Trainee Judicial Officer)**
रेवाड़ी , हरियाणा